



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 13.06.2024

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 198/2024 धारा- 3(1) गैंगस्टर अधिनियम में नामजद/वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 198/2024 धारा- 3(1) गैंगस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी बंगला नं0 50ए लोको कालोनी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी बंगला नं0 50ए लोको कालोनी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण:- अभियुक्तगणों द्वारा मिलकर अपना एक आपराधिक गैंग बनाया हुआ है जिन पर जनपद के विभिन्न थानों पर कई अभियोग पंजीकृत है। इस गैंग का गैंगलीडर देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव उपरोक्त स्वयं हैं। यह आपराधिक गैंग अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध कारित करते हैं। इस गैंग के आपराधिक कृत्यों के कारण आम जनता में भय व आतंक व्याप्त है। जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अतः इनका स्वतन्त्र रहना आम जनता के हित में नहीं है। यह गैंग आपराधिक गतिविधियों सहित समाज विरोधी क्रिया कलापों में पूर्णतः लिप्त पाये जाने पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय फर्रुखाबाद के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 12.06.2024 को मु0अ0सं0- 198/2024 धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ। वांछित अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी के क्रम में अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी बंगला नं0 50ए लोको कालोनी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद को उसके मसकन के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0सं0 216/2017 धारा 504/506 भा0द0वि0 थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 2- मु0अ0सं0 889/2018 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 3- मु0अ0सं0 503/2019 धारा 504/506 भा0द0वि0 थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 4- मु0अ0सं0 338/2017 धारा 147/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 5- मु0अ0सं0 397/2017 धारा 506 भा0द0वि0 थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 6- मु0अ0सं0 1017ए/2007 धारा 307/323/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 7- मु0अ0सं0 41/2009 धारा 147/148/149/323/452/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 8- मु0अ0सं0 1640/2005 धारा 147/149/323/504 भा0द0वी0 थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 9- मु0अ0सं0 226/2017 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

- 10- मु0अ0सं0 486/2018 धारा 323/342/506 भा0द0वि0 थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 11- मु0अ0सं0 09/2021 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 12- मु0अ0सं0 285/2009 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 13- मु0अ0सं0 388/2017 धारा 147/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 14- मु0अ0सं0 115/2017 धारा 147/452/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ ।
- 15- मु0अ0सं0 1380/2005 धारा 147/148/149/307/323/342/506 भा0द0वि0 थाना को0 फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़
- 16- मु0अ0सं0 56/2011 धारा 147/148/149/323/325/336/504/506 भा0द0वि0 व 7, सीएल एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
- 17- मु0अ0सं0 543/2022 धारा 323/504/506 भा0द0वि0थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।
- 18- मु0अ0सं0 174/2000 धारा 302 भादवि थाना को0 फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
- 19- मु0अ0सं0 7017/2007 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरि श्याम सिंह
2. उ0नि0 नर सिंह
3. कां0 आनन्द राव
4. कां0 प्रहलाद

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।





